

पैतृक सम्पत्ति का हक त्याग-पत्र

(रक्त संबंधियों के मध्य)

यह हक त्याग-पत्र श्री पुत्र श्री
 आयु निवासी जो इस
 दस्तावेज में प्रथम पक्षकार है।

एवं

श्री पुत्र श्री आयु
 निवासी जो इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार है के
 मध्य निष्पादित हुआ है।

दोनों पक्षकारों के पिता की एक सम्पत्ति वाके
 तहसील जिला में स्थित है जिसे
 उनके पिता ने तत्समय अपनी आमदनी से क्रय किया था व उसके एक
 मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे। दोनों पक्षकारों के पिता का देहावसान
 दिनांक को नगर में हो गया है जिसके
 बाद उनके वारिसान के रूप में हम दोनों भाई ही उस सम्पत्ति के
 संयुक्त स्वामी एवं बराबर के सह भागीदार हैं।

यह कि प्रथम पक्षकार का व्यवसाय अन्य शहर में है एवं अच्छा
 चलने के कारण उसने वहाँ सम्पत्ति क्रय कर वही निवास कर लिया है
 एवं द्वितीय पक्षकार जो प्रथम पक्षकार का लघु भ्राता है एवं प्राइवेट
 नौकरी करता है उसका परिवार भी बड़ा है एवं वर्तमान में पिता से प्राप्त
 सह स्वामी एवं सहभागीदारी की पैतृक सम्पत्ति जिस सम्पत्ति का विवरण
 व चौहानी अनुसूची में दर्शित है में ही निवास कर रहा है।

चूंकि प्रथम पक्षकार का अन्य शहर में निवास व मकान है उसे
 उक्त पैतृक सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है एवं उसके लघुभ्राता द्वितीय
 पक्षकार की जरूरत एवं अनेहवश प्रथम पक्षकार अपने हिस्से का द्वितीय
 पक्षकार के पक्ष में हक त्याग करता है जिसके साक्ष्य खरूप यह विलेख
 निष्पादित कर दिया है।

अतएव यह लेख्य-पत्र साक्षात्कृत करता है:-

- द्वितीय पक्षकार अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी व
 कब्जेदार होगा।
- द्वितीय पक्षकार इस विलेख के आधार पर अपना नाम नगरपालिका
 व अन्य जगह दर्ज करा सकेगा।
- प्रथम पक्ष को प्राप्त समस्त हक व अधिकार अब द्वितीय पक्षकार
 को होगा व दोनों पक्षकारों के उत्तराधिकारी भी इससे बाध्य होंगे।

अतः यह हक त्याग पत्र निम्न साक्षीगण के समक्ष दिया है जो सही
 व सनद रहे।

साक्षीगण

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथम पक्षकार

(1)

(2)

हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीय पक्षकार